

वन विभाग ने 52 किसानों की 70 बीघा जमीन पर कर रखा था कब्जा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुक्त कराई

सुनील बाफना | राजगढ़ (धार)

वन विभाग ने सरदारपुर तहसील के ग्राम टीमायची के मजरे तलावपाड़ा के 52 किसानों की करीब 70 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा था। 12 साल से निजी खेतों के आगे तार फेंसिंग कर विभाग का कब्जा था। इसकी शिकायत तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो किसानों ने दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की। वहां से किसानों की जमीन मुक्त कराई गई। वहीं किसानों का कहना है कि हमारी जमीन पर वन विभाग ने फेंसिंग कर दी थी। हमें वापस खेत तैयार कर दिया जाए। किसानों ने हर्जा खर्चा का मुआवजा एवं कुआं भी



खुदवाकर देने की मांग की। मामले में डीएफओ जीबी बरबरे ने बताया कि किसानों को हमने आयोग के आदेश पर रास्ता दे दिया है। किसानों से कहा आपको कोई परेशान नहीं होगी। डीएफओ ने बताया कि हमारी ओर से सारी सहमति भेज दी गई है। साथ ही स्टेट लेवल से भी सहमति हो गई है। भारत सरकार जल्दी नोटिफिकेशन की कार्रवाई करेगी। निरीक्षण के दौरान फॉरेस्ट डीएफओ, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ सहित फॉरेस्ट एवं क्षेत्र के आरआई एवं पटवारी मौजूद थे।